वित्तीय स्वीकृति

संख्या-6/2018/709/52-3-18-बजट(20)/2017

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-3, □□□□: दिनांक 30 मार्च, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल/इंजीनियरिंग □□ व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व □□□□ की व्यवस्था हेतु□वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये □□□□□□□□ में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□ पत्र संख्या-6252/□0□0□0□□0/□□□□/2016 दिनांक 26.03.2018 □□ संदर्भ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1 □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 □□प्रस्तर-2(7) में दी □□□ व्यवस्था □□□□□□□ □□□□वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □डिकल/इंजीनियरिंग व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में परीक्षा पूर्व □□□□ की व्यवस्था हेतु□□□□-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 15,00,000/- □□सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत रू0 07,50,000/- की □□□□□ □□सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में शेष □□□□ □□□□□ रू0 07,50,000/- (रू0 □□□ □□□ □□□□ □□□□ मात्र) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के □□□□ □□□□निवर्तन पर □□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष स्वीकृति प्रदान □□□□हैं:-

(1) □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ वास्तविक आवश्यकता □□ □□□□□ किया □□□□ □□□ □□□□□□ □□ आहरित □□ बैंक/ड्राफ्ट □□ में शेष नहीं किया □□□□□

(2) उक्त स्वीकृति हेतु शर्त □□□□□□ □□कि भवनों □□□□ □□□□ इत्यादि □□□□□□उन्हीं मदरसों □□ □□□□□ दिया □□□□, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों □□ ही □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ संस्था □□ □□□

(3) □□ वित्तीय स्वीकृतियां जिलों को तत्काल आवंटित □□ दी □□□ □□□ जिलेवार आवंटित □□□□□□ की □□□□ तत्काल □□□□ □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□□ द्वारा □□□□ □□ निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया □□□□□ □

(5) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□ सापेक्ष □□□□□□□□ प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2018 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□□

2- उपरोक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□□वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □ □-व्ययक □□ □□□□□ संख्या-48 □□लेखाशीर्षक-2225-□□□□□□□ जातियों□ □□□□□□□ जनजातियों त□□ अन्य पिछड़े वर्गे □□ कल्याण- 80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र □□□ अन्य उपक्रमों □□ □□□□□□-0305-मेडिकल/इंजीनियरिंग वे□व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोर्□□ व्यवस्था हे□□□□□□-20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

3- □□ □ □□ वित्त विभाग □□ अशासकीय □0-□-11-534/□□-18, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी □□□□□ □□निर्गत किये □□ □□□□□

भवदीय,

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□□

<u>संख्या-709(1)/52-3-18-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हे□□प्रेषित:-

1-□□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

2-□□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी ज□□□□ □□□ □□□□/वित्त □□□लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□ □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□ □□□ □□□□□

5-वित्त (□-11) □□□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फ़ाइल

6-अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-1

आज्ञा □□

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।